खण्ड-428, अंक-1
मंगलवार, 20 माघ, शक संवत् 1920
(9 फरवरी, 1999 ई0)

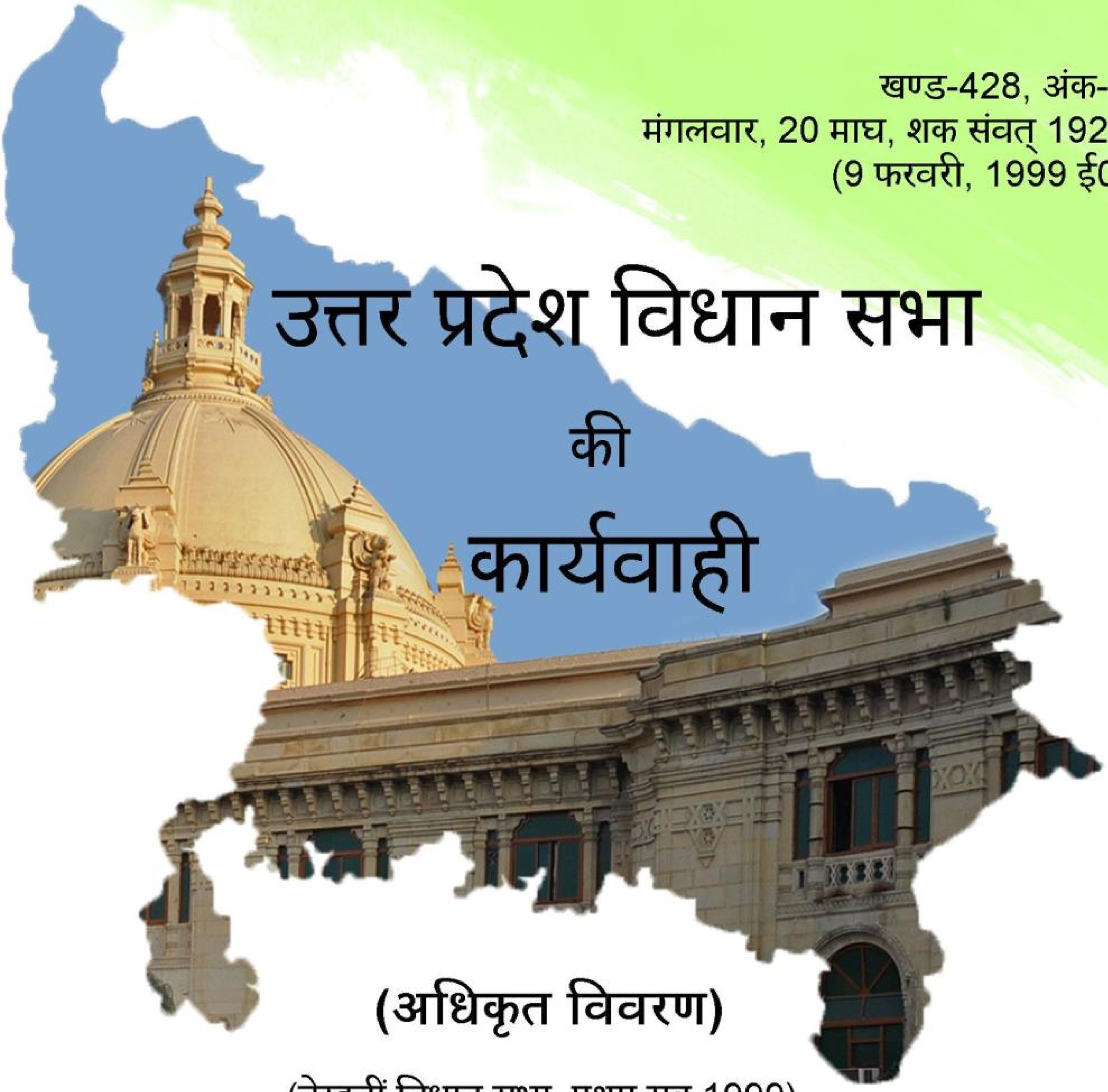

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1999)

खण्ड 428 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
तेरहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	क–ठ
उपस्थित सदस्य	ड
राष्ट्रीय-गीत	1
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न ...	1–4
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ ...	4–18
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1998 (पटल पर रखा गया)	18
उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1998 (पटल पर रखा गया)	19
उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (पटल पर रखा गया)	19
उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1998 (पटल पर रखा गया)	19
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1998 (पटल पर रखा गया)	19
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1998 (पटल पर रखा गया)	19
उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण अध्यादेश, 1998 (पटल पर रखा गया)	19
उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अध्यादेश, 1998 (पटल पर रखा गया) ...	20
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1998 (पटल पर रखा गया)	20
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (पटल पर रखा गया)	20
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (पटल पर रखा गया)	20
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (पटल पर रखा गया)	20
उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (पटल पर रखा गया)	20
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (पटल पर रखा गया)	20
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (पटल पर रखा गया)	21

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (पटल पर रखा गया)	21
उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (पटल पर रखा गया)	21
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (दसवां संशोधन) नियमावली, 1998 तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 1998 (पटल पर रखी गयी)	21
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1998 की त्रुटियों के शोधन का विवरण (पटल पर रखा गया)	21–22
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1998 की त्रुटियों के शोधन का विवरण (अधिनियम बन गया राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	22
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	22–25
वित्तीय वर्ष 1998-99 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के समय से पूर्व प्रस्तुत करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	26
वित्तीय वर्ष 1998-99 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण का प्रस्तुतीकरण (प्रस्तुत)	26

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची)

1–अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
2–अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
3–अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
4–अजय कुमार पोइया, श्री — मथुरा
5–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
6–अजय भट्ट, श्री — अल्मोड़ा
7–अजय राय, श्री — वाराणसी
8–अजित कुमार मेहरोत्रा, श्री — सीतापुर
9–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
10–अतुल कुमार, श्री — मेरठ
11–अनिल कुमार, श्री — बलिया
12–अनीस खां, श्री — पीलीभीत
13–अफजाल अंसारी, श्री — गाजीपुर
14–अफजाल अहमद, श्री — जौनपुर
15–अफरोज अली खां, श्री — रामपुर
16–अब्दुल कलाम, श्री — बस्ती
17–अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
18–अब्दुल खालिक, श्री — अलीगढ़
19–अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
20–अमर मणि, श्री — महराजगंज
21–अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
22–अमीर आलम खां, श्री — मुजफ्फरनगर
23–अम्बरीष कुमार, श्री — हरिद्वार
24–अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
25–अम्मार रिजवी, डा० — सीतापुर
26–अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
27–अरविन्द कुमार जैन, श्री — ललितपुर
28–अरविन्द गिरी, श्री — खीरी
29–अरिमर्दन सिंह, श्री — महोबा
30–अरुण प्रताप सिंह, श्री — सुल्तानपुर
31–अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
32–अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
33–अशफाक अहमद, श्री — बरेली
34–अशोक कुमार, श्री — जौनपुर
35–अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
36–अशोक बाजपेयी, डा० — हरदोई
37–अशोक यादव, श्री — फिरोजाबाद
38–आचार्य रामदेव वैश्य, श्री — बाराबंकी
39–आनन्द प्रकाश, श्री — पडरौना
40–आर० के० चौधरी, श्री — लखनऊ
41–आर०के० सिंह पटेल, श्री — बांदा
42–आलमबन्दी, श्री — आजमगढ़
43–इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
44–इन्द्रजीत सरोज, श्री — इलाहाबाद
45–इन्द्रदेव, श्री — बिजनौर
46–इलम सिंह, श्री — सहारनपुर
47–उदय राज यादव, श्री — उन्नाव
48–उमाकान्त यादव, श्री — जौनपुर
49–उर्मिला देवी, श्रीमती — मैनपुरी
50–उबैदुर्रहमान, श्री — गोण्डा
51–ओइम्वेश, स्वामी — बिजनौर
52–ओंकार सिंह, श्री — एटा
53–ओमकार सिंह, श्री — बदायूं

उत्तर प्रदेश विधान सभा

54–ओम प्रकाश, श्री — एटा
55–ओम प्रकाश गुप्त, श्री — सीतापुर
56–ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
57–कमला प्रसाद रावत, श्री — बाराबंकी
58–कमलेश कुमार सिंह, श्री — बलरामपुर
59–कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
60–कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री — सहारनपुर
61–काजिम अली खां, उर्फ नवेद मियां, श्री — रामपुर
62–काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री — हरिद्वार
63–काशिम हसन, श्री — फतेहपुर
64–काशीनाथ, श्री — सुल्तानपुर
65–किशन लाल बघेल, सेठ — आगरा
66–कृपा शंकर सिंह, श्री — उन्नाव
67–कृष्ण चन्द्र पुनेठा, श्री — पिथौरागढ़
68–कृष्णपाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
69–कृष्णा राज, श्रीमती — खीरी
70–केदार सिंह फोनिया, श्री — चमोली
71–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
72–केशो मेहरा, श्री — आगरा
73–के० सी० सिंह "बाबा", श्री — उधमसिंह नगर
74–कैलाश, श्री — गाजीपुर
75–कैलाश सिंह राजपूत, श्री — फर्रुखाबाद
76–कौकब हमीद, श्री — मेरठ
77–कोविद कुमार, श्री — शाहजहांपुर
78–कौशल किशोर, डा० — खीरी
79–गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री — आगरा
80–गंगा बख्श सिंह, श्री — उन्नाव
81–गंगा सिंह चौहान, श्री — हरदोई
82–गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री — मेरठ
83–गणेश राजभर, श्री — गाजीपुर
84–गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
85–गोपाल कृष्ण, श्री — पीलीभीत
86–गोमती यादव, श्री — लखनऊ
87–गोरखनाथ पाण्डेय, श्री — भदोही
88–गौरी देवी, श्रीमती — गोरखपुर
89–गौरी शंकर (एडवोकेट), श्री — लखनऊ
90–चन्द्र किशोर, श्री — महराजगंज
91–चन्द्र नाथ सिंह, श्री — प्रतापगढ़
92–चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री — झांसी
93–चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री — बहराइच
94–चन्द्रेश पासवान, श्री — गोरखपुर
95–चेतराम, श्री — शाहजहांपुर
96–चौधरी बाबूलाल, श्री — आगरा
97–छब्बू पटेल, श्री — वाराणसी
98–छोटे लाल वर्मा, डा० — महोबा
99–छोटे लाल, श्री — हरदोई
100–छोटे लाल गंगवार, मास्टर — बरेली
101–छोटे लाल राजभर, श्री — बलिया
102–छोटे सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
103–जगपाल, श्री — सहारनपुर
104–जगत पाल सिंह, मेजर — मुरादाबाद
105–जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
106–जगदीश नारायण राय, श्री — जौनपुर
107–जगदीश सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
108–जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
109–जटा शंकर, श्री — बहराइच
110–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
111–जय नारायन तिवारी, श्री — सुल्तानपुर
112–जयपाल सिंह, श्री — मेरठ
113–जय प्रकाश, श्री — गाजियाबाद
114–जय प्रकाश निषाद, श्री — देवरिया
115–जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
116–जयवीर सिंह भदौरिया, श्री — इटावा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

117–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ
पप्पू भइय्या, श्री — गोरखपुर
118–जोखू लाल यादव, श्री — इलाहाबाद
119–ज्ञान चन्द, श्री — उत्तरकाशी
120–ज्ञानवती, डा० — अलीगढ़
121–ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री — महराजगंज
122–ज्वाला प्रसाद यादव, श्री — जौनपुर
123–तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल, श्री — गोरखपुर
124–तिलकराज बेहड़, श्री — उधमसिंह नगर
125–तेजभान सिंह, श्री — सुल्तानपुर
126–तोताराम, श्री — मुरादाबाद
127–तौफीक अहमद, श्री — सिद्धार्थनगर
128–दद्दू प्रसाद, श्री — बांदा
129–दयाशंकर, श्री — जालौन
130–दल बहादुर कोरी, श्री — रायबरेली
131–दलवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
132–दिलीप कुमार, श्री — बहराइच
133–दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
134–दीपक कुमार, श्री — उन्नाव
135–दीप लाल भारती, श्री — पडरौना
136–दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
137–देवेन्द्र सिंह उर्फ
भोले सिंह, श्री — कानपुर देहात
138–देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर — एटा
139–धनराज यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
140–धनीराम वर्मा, श्री — इटावा
141–धर्मज्ञ मिश्र,डा० — हरदोई
142–धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
143–धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकर नगर
144–नन्दराम, श्री — बरेली
145–नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० — इलाहाबाद
146–नरेन्द्र सिंह, श्री — आजमगढ़
147–नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री — कानपुर देहात
148–नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री — बुलन्दशहर
149–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
150–नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री — गाजियाबाद
151–नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
152–नरेन्द्र सिंह नागर, श्री — गाजियाबाद
153–नारायण राम दास, श्री — अल्मोड़ा
154–नीरज पाल शर्मा, श्री — सहारनपुर
155–नीरज चतुर्वेदी, श्री — कानपुर नगर
156–नेतराम सिंह, श्री — एटा
157–"पटेल" रामकुमार वर्मा, श्री — खीरी
158–परमानन्द दण्डी, स्वामी — रामपुर
159–परवेज हलीम खां, श्री — मेरठ
160–पीटर फैन्थम — नाम-निर्देशित सदस्य
161–पीतम राम, श्री — पीलीभीत
162–पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
163–पूर्णमासी पंकज, श्री — भदोही
164–प्रदीप कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
165–प्रभा द्विवेदी, श्रीमती — फर्रुखाबाद
166–प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री — वाराणसी
167–प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
168–प्रेमपाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
169–प्रेम प्रकाश सिंह, श्री — देवरिया
170–प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
171–प्रेम स्वरूप पाठक, श्री — बदायूं
172–फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
173–फरीद महमूद किदवाई, श्री — बाराबंकी
174–फागू, श्री — मऊ
175–बंश नारायण सिंह, श्री — भदोही
176–बंशीधर भगत, श्री — नैनीताल
177–बचनूराम पटेल, श्री — वाराणसी
178–बच्चा पाठक, श्री — बलिया
179–बनवारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
180–बनारसी दास चान्दना, श्री — मेरठ
181–बहोरन लाल मौर्य, श्री — बरेली
182–बांके लाल सोनकर, श्री — जौनपुर
183–बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
184–बाबू खां, श्री — हरदोई
185–बाबूराम, श्री — जालौन
186–बाबूराम यादव, श्री — मैनपुरी
187–बाबू लाल कुरील, श्री — उन्नाव
188–बाबू लाल कुशवाहा, श्री — बांदा
189–बाल चन्द्र मिश्र, श्री — कानपुर नगर
190–बालेश्वर त्यागी, श्री — गाजियाबाद
191–बावन सिंह, श्री — गोण्डा
192–बिजेन्द्र आर्य, श्री — मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

193–बिन्दु लाल, श्री गोण्डा
194–बिहारी लाल आर्य, श्री झांसी
195–बी०आर० वर्मा, श्री जौनपुर
196–बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री सीतापुर
197–बेचन राम, श्री गोरखपुर
198–ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री मुरादाबाद
199–भगवती प्रसाद, श्री कानपुर देहात
200–भगवान सिंह शाक्य, श्री बदायूं
201–भरत सिंह, श्री बलिया
202–भाई लाल, श्री मिर्जापुर
203–भारत सिंह रावत, श्री गढ़वाल
204–भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
205–भोनू, श्री गाजीपुर
206–भोला शंकर मौर्य, श्री बदायूं
207–मंगल सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
208–मंजू, श्रीमती बलिया
209–मंडलेश्वर सिंह, श्री आगरा
210–मतेश चन्द्र सोनकर, श्री इलाहाबाद
211–मथुरा प्रसाद, श्री कानपुर देहात
212–मलखान सिंह, श्री अलीगढ़
213–मस्तराम, श्री उन्नाव
214–महाराज सिंह यादव, श्री इटावा
215–महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
216–महेन्द्र कुमार, श्री बुलन्दशहर
217–महेन्द्र कुमार, श्री सीतापुर
218–महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा० वाराणसी
219–महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री बांदा
220–महेन्द्र सिंह यादव, श्री बुलन्दशहर
221–मातबर सिंह कण्डारी, श्री टिहरी गढ़वाल
222–मानिक चन्द यादव, श्री मैनपुरी
223–माया प्रसाद, श्रीमती खीरी
224–मारकण्डेय चन्द, श्री गोरखपुर
225–मिथिलेश कुमारी, श्रीमती एटा
226–मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
227–मुन्ना चौहान, श्री देहरादून
228–मुन्ना लाल मौर्य, श्री फतेहपुर
229–मुरलीधर, श्री फतेहपुर
230–मुराद लारी, श्री देवरिया
231–मुस्ताक सोलंकी, श्री कानपुर नगर
232–मुस्लिम, डा० रायबरेली
233–मुहर सिंह अम्बाडी, श्री इटावा
234–मूल चन्द, श्री बिजनौर
235–मोती लाल, श्री खीरी
236–मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री गढ़वाल
237–मोहम्मद मुकीम, श्री सिद्धार्थनगर
238–यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
239–यशवन्त, श्री आजमगढ़
240–योगेन्द्र कुमार, श्री बदायूं
241–योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री देवरिया
242–रंगनाथ सिंह, श्री भदोही
243–रंगबहादुर पटेल, श्री इलाहाबाद
244–रघुनाथ सिंह चौहान, श्री अल्मोड़ा
245–रघुराज प्रताप सिंह "राजा भईया", कुंवर प्रतापगढ़
246–रघुवर दयाल वर्मा, श्री फिरोजाबाद
247–रणधीर सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
248–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर पडरौना
249–रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
250–रमेश पोखरियाल "निशंक", डा० गढ़वाल
251–रमेश राही, श्री सीतापुर
252–रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो० मेरठ
253–रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
254–रवीन्द्र शुक्ला, श्री झांसी
255–राकेश त्यागी, श्री बुलन्दशहर
256–राकेश धर त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
257–राकेश सोनकर, श्री कानपुर नगर
258–राजधारी, श्री बलिया
259–राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
260–राजपाल सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
261–राजराय सिंह, श्रीमती पीलीभीत
262–राजा गज़नफर अली खां, श्री बिजनौर
263–राजाराम पाण्डेय, श्री प्रतापगढ़
264–राजाराम पाल, श्री कानपुर देहात
265–राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
266–राजेन्द्र, श्री गाजीपुर
267–राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
268–राजेन्द्र सिंह, श्री देहरादून
269–राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
270–राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
271–राजेश कुमार सिंह, श्री मुरादाबाद

272–राधेश्याम, श्री कानपुर देहात
273–राधेश्याम गुप्त, श्री फतेहपुर
274–राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
275–राधेश्याम सिंह, श्री पडरौना
276–राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
277–राम अवतार मिश्रा, श्री शाहजहांपुर
278–राम आसरे पासवान, श्री बस्ती
279–राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा० कानपुर नगर
280–राम औतार शाक्य, श्री मैनपुरी
281–राम कृपाल, श्री इलाहाबाद
282–राम खिलाड़ी, श्री बदायूं
283–राम चन्द्र मौर्य, श्री मिर्जापुर
284–राम चन्दर यादव, श्री फैजाबाद
285–राम जग, श्री आजमगढ़
286–राम तेज यादव, एडवोकेट बहराइच
287–राम नक्षत्र, श्री पडरौना
288–राम नरेश रावत, श्री गाजियाबाद
289–राम नरेश यादव, श्री आजमगढ़
290–राम नाथ, श्री प्रतापगढ़
291–रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
292–रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
293–राम पाल सिंह, श्री गोण्डा
294–राम प्यारे सिंह, श्री आजमगढ़
295–राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
296–राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
297–राम बाबू हरित, श्री आगरा
298–राम रतन यादव, श्री सुल्तानपुर
299–राम लखन, श्री सुल्तानपुर
300–राम ललित चौधरी, श्री बस्ती
301–राम विशुन आजाद, श्री गोण्डा
302–रामवीर उपाध्याय, श्री अलीगढ़
303–रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
304–राम शंकर पाल, श्री उन्नाव
305–राम सखी, श्रीमती अलीगढ़
306–राम सिंह, डा० अलीगढ़
307–राम सिंह, श्री बुलन्दशहर
308–राम सिंह सैनी, श्री हरिद्वार
309–राम सेवक सिंह, श्री इलाहाबाद
310–राम सेवक सिंह, श्री बदायूं
311–राम स्वरूप शर्मा, श्री मथुरा
312–राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
313–राम हर्ष सिंह, श्री सुल्तानपुर
314–रामाधार सिंह, श्री हमीरपुर
315–रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री मैनपुरी
316–रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
317–रिफाकत हुसैन चौधरी, डा० मुरादाबाद
318–रूप चौधरी, श्री मेरठ
319–रेवती रमण सिंह उर्फ "मणि", कुंवर इलाहाबाद
320–लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा० मेरठ
321–लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्री मथुरा
322–लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
323–लवकुश कुमार, श्री बिजनौर
324–लाखीराम जोशी, श्री टिहरी गढ़वाल
325–लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
326–लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
327–लालमणि प्रसाद, श्री बस्ती
328–लाल सिंह वर्मा, श्री इटावा
329–लोकपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
330–वकार अहमद शाह, डा० बहराइच
331–वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
332–विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
333–विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
334–विजय कुमार, श्री गाजीपुर
335–विजय पाल सिंह, श्री आगरा
336–विजय प्रकाश, श्री इलाहाबाद
337–विजय सिंह, श्री सोनभद्र
338–विद्या सागर गुप्ता, श्री लखनऊ
339–विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री गोण्डा
340–विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री गोण्डा
341–विनोद मणि, श्री महराजगंज
342–विभूति प्रसाद निषाद, श्री आजमगढ़
343–विरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
344–विरेन्द्र सिंह, श्री वाराणसी
345–विरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
346–विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
347–विशन सिंह चुफाल, श्री पिथौरागढ़
348–विशम्भर सिंह, श्री मथुरा
349–विश्वनाथ, श्री पडरौना
350–वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना, श्री शाहजहांपुर

351–वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री — एटा
352–वेद प्रकाश, श्री — बस्ती
353–वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा० — बिजनौर
354–शब्बीर अहमद, श्री — बहराइच
355–शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
356–शिव गणेश लोधी, एडवोकेट — रायबरेली
357–शिव चरन प्रजापति, श्री — हमीरपुर
358–शिव पाल सिंह यादव, श्री — इटावा
359–शिव पूजन राम, श्री — वाराणसी
360–शिव प्रतास शुक्ल, श्री — गोरखपुर
361–शिव बहादुर सक्सेना, श्री — रामपुर
362–शिव शंकर, श्री — बांदा
363–शिव सिंह चक, श्री — फिरोजाबाद
364–शिवाकान्त, श्री — प्रतापगढ़
365–शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज
366–शिशुपाल सिंह यादव, श्री — एटा
367–शेर बहादुर, श्री — अम्बेडकरनगर
368–श्याम किशोर यादव, श्री — लखनऊ
369–श्याम देव राय चौधरी (दादा), श्री — वाराणसी
370–श्याम प्रकाश, श्री — हरदोई
371–श्याम लाल रावत, श्री — सीतापुर
372–श्याम सुन्दर, श्री — रायबरेली
373–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
374–श्रीनिवास मणि, श्री — देवरिया
375–श्रीराम पाल, श्री — जालौन
376–श्रीराम, श्री — मऊ
377–श्रीराम यादव, श्री — जौनपुर
378–संग्राम सिंह, श्री — बाराबंकी
379–संजय गर्ग, श्री — सहारनपुर
380–संजय सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
381–संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
382–सतीश जतारिया, श्री — झांसी
383–सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
384–सतीश शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
385–सत्य प्रकाश सोनकर, श्री — वाराणसी
386–सन्त, श्री — गोरखपुर
387–सन्त राम सिंह, श्री — जालौन
388–समरपाल सिंह, श्री — मेरठ
389–सरजीत सिंह डंग, डा० — मिर्जापुर
390–सरदार सिंह, श्री — मथुरा
391–सरवर अली खां, श्री — बाराबंकी
392–सरस्वती प्रताप सिंह, श्री — खीरी
393–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर, श्री — मुरादाबाद
394–सिंहासन सिंह, श्री — गाजीपुर
395–सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
396–सीमा द्विवेदी, श्रीमती — जौनपुर
397–सुखदेवी, श्रीमती — इटावा
398–सुखपाल पाण्डेय, श्री — बस्ती
399–सुखवीर सिंह पुण्डीर, श्री — सहारनपुर
400–सुधाकर सिंह, श्री — मऊ
401–सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री — देवरिया
402–सुमन लता सिंह, श्रीमती — बरेली
403–सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, श्री — बाराबंकी
404–सुरेन्द्र प्रताप सिंह श्री — बरेली
405–सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
406–सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
407–सुरेश चन्द्र आर्य, श्री — उधमसिंह नगर
408–सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
409–सुशील शाक्य, श्री — फर्रुखाबाद
410–सुशीला अग्रवाल, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
411–सूर्य प्रताप शाही, श्री — देवरिया
412–सूर्य भान सिंह, श्री — सुल्तानपुर
413–सौलत अली, एडवोकेट — मुरादाबाद
414–स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — रायबरेली
415–हरदेव सिंह, श्री — बाराबंकी
416–हरपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
417–हरवंश कपूर, श्री — देहरादून
418–हरिनारायण, श्री — बलिया
419–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री — सोनभद्र
420–हरि शंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
421–हरि शंकर माहौर, श्री — अलीगढ़
422–हरीश चन्द्र गंगवार, श्री — बरेली
423–हरीश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री — वाराणसी
424–हीरालाल गौतम, श्री — आजमगढ़
425–हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
426–होराम सिंह, श्री — बुलन्दशहर

महामहिम राज्यपाल
श्री सूरजभान
मंत्रि-परिषद्

क्र०सं०	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	श्री कल्याण सिंह (मुख्य मंत्री)	सामान्य प्रशासन, गृह, गोपन, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, वित्त, न्याय, विधायी, राज्य सम्पत्ति, नागरिक उड्डयन, औद्योगिक विकास एवं प्रोटोकाल ।
2	श्री कलराज मिश्र	लोक निर्माण, पर्यटन
3	श्री लालजी टण्डन	आवास, नगर विकास
4	श्री ओम प्रकाश सिंह	सिंचाई, गन्ना विकास
5	श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण ।
6	श्री नरेश अग्रवाल	ऊर्जा
7	श्री दिवाकर विक्रम सिंह	कृषि
8	डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर	उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा ।
9	चौधरी नरेन्द्र सिंह	ग्राम्य विकास
10	श्री रमापति शास्त्री	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
11	श्री मारकण्डेय चन्द	लघु सिंचाई ग्रामीण अभियंत्रण ।
12	श्री रघुवर दयाल वर्मा	वन
13	डा० नैपाल सिंह	माध्यमिक शिक्षा, भाषा ।
14	श्री सूर्य प्रताप शाही	आबकारी
15	श्री राम कुमार वर्मा	सहकारिता
16	श्रीमती प्रेमलता कटियार	महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार ।
17	श्रीमती प्रभा द्विवेदी	श्रम
18	श्री सरदार सिंह	वस्त्र उद्योग

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र०सं०	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
19	श्री राधेश्याम गुप्ता	पशुधन
20	श्री बाबू राम, एम०काम०	लघु उद्योग, निर्यात प्रोत्साहन ।
21	श्री हुकुम सिंह	संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद ।
22	श्री शिव प्रताप शुक्ल	कारागार
23	श्री बच्चा पाठक	पर्यावरण, अतिरिक्त ऊर्जा ।
24	श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही	राजस्व
25	श्री हरिशंकर तिवारी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
26	श्री मण्डलेश्वर सिंह	क्षेत्रीय विकास एवं परती भूमि विकास ।
27	श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह	राष्ट्रीय एकीकरण एवं इलेक्ट्रानिक्स ।
28	डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"	उत्तरांचल विकास
29	चौधरी लक्ष्मीनारायण	उद्यान
30	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	खेलकूद, युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल ।
31	श्री शिवाकान्त ओझा	चिकित्सा शिक्षा
32	श्री सरस्वती प्रताप सिंह	होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा ।
33	श्री फागू चौहान	संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व
34	श्री राजाराम पाण्डेय	खादी एवं ग्रामीण उद्योग
35	श्री राजा रघुराज प्रताप सिंह	कार्यक्रम कार्यान्वयन
36	श्री जय नरायन तिवारी	सार्वजनिक उद्यम

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

क्र०सं०	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	श्री बालेश्वर त्यागी	बेसिक शिक्षा
2	श्री महेन्द्र नाथ पाण्डे	नियोजन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र०सं०	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
3	श्री धर्मपाल सिंह	पंचायती राज
4	श्री जयपाल सिंह	बाढ़ नियंत्रण
5	श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह	परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण ।
6	श्री अशोक यादव	अभाव तथा सहायता एवं पुनर्वास ।
7	श्री राधेश्याम कोरी	अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवायोजन ।
8	श्री राजा गज़नफर अली	अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज ।

राज्य मंत्री

क्र०सं०	नाम	विभाग या विषय
1	श्री फतेह बहादुर सिंह	औद्योगिक विकास
2	श्री सुखपाल पाण्डेय	परिवहन
3	श्री राम प्रसाद कमल	लोक निर्माण
4	श्री दलवीर सिंह	पर्यटन
5	श्री सुरेश खन्ना	आवास
6	श्री सतीश महाना	नगर विकास
7	श्री धनराज यादव	सिंचाई
8	श्री मंगल सिंह सैनी	गन्ना विकास एवं चीनी मिलें
9	श्री दल बहादुर कोरी	समाज कल्याण
10	श्री राम आसरे कुशवाहा	अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण
11	श्री लल्लू सिंह चौहान	ऊर्जा
12	श्री भगवान सिंह शाक्य	कृषि
13	श्री वीरेन्द्र सिंह	कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान
14	श्री राकेश धर त्रिपाठी	उच्च शिक्षा
15	श्री यशवन्त सिंह	प्राविधिक शिक्षा
16	श्री शिवेन्द्र सिंह	ग्राम्य विकास
17	श्री बंश नारायण सिंह पटेल	ग्राम्य विकास
18	डा० अरविन्द कुमार जैन	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
19	श्री राम आसरे पासवान	लघु सिंचाई
20	श्री राजेन्द्र सिंह पटेल	ग्रामीण अभियंत्रण

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र०सं०	नाम	विभाग या विषय
21	श्री रंग नाथ मिश्र	वन
22	श्री चन्द्र किशोर	माध्यमिक शिक्षा
23	श्री विक्रमाजीत मौर्य	आबकारी
24	श्री रामचन्द्र बाल्मीकि	सहकारिता
25	श्रीमती गुलाब देवी	महिला कल्याण
26	श्री वेद प्रकाश	श्रम
27	श्री प्रेम प्रकाश सिंह	वस्त्रोद्योग
28	श्री बहोरन लाल मौर्य	संस्थागत वित्त
29	श्री बिहारी लाल आर्य	लघु उद्योग
30	श्री राकेश त्यागी	पंजीयन
31	श्री हरि नारायण राजभर	कारागार
32	श्री विवेक कुमार सिंह	पर्यावरण
33	श्री रामपाल राजवंशी	अतिरिक्त ऊर्जा
34	श्री शिव शंकर सिंह	राजस्व
35	श्री सतीश शर्मा	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
36	श्री संग्राम सिंह	क्षेत्रीय विकास
37	श्री श्रीराम सोनकर	राष्ट्रीय एकीकरण
38	श्री मातवर सिंह कण्डारी	उत्तरांचल विकास
39	श्री बंशीधर भगत	उत्तरांचल विकास
40	श्री नारायण रामदास	उत्तरांचल विकास
41	श्री अमर मणि त्रिपाठी	युवा कल्याण
42	श्री गंगा बख्श सिंह	चिकित्सा शिक्षा
43	श्री विनय पाण्डेय	होमगार्ड्स
44	श्री जितेन्द्र कुमार जायसवाल	संस्कृति
45	श्री रामलखन पासी	खादी एवं ग्रामीण उद्योग
46	श्री मुन्ना लाल मौर्य	उद्यान

नेता विरोधी दल

श्री धनीराम वर्मा

उत्तर प्रदेश विधानसभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिका

अध्यक्ष

श्री केशरीनाथ त्रिपाठी

उपाध्यक्ष

रिक्त

सचिव

श्री प्रेमचन्द्र सक्सेना

अधिष्ठाता मण्डल

1–डा० सरजीत सिंह डंग, सदस्य, विधान सभा (मिर्जापुर),
2–श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा (कानपुर देहात),
3–श्री निर्भय पाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा (सहारनपुर),
4–श्री केदार सिंह फोनिया, सदस्य, विधान सभा (चमोली),
5–श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा (अम्बेडकर नगर),
6–डा० अशोक बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा (हरदोई),
7–श्री मुन्ना चौहान, सदस्य, विधान सभा (देहरादून),
8–श्री गौरी शंकर एडवोकेट, सदस्य, विधान सभा (लखनऊ),
9–डा० अम्मार रिजवी, सदस्य, विधान सभा (सीतापुर),
10–श्री कौकब हमीद, सदस्य, विधान सभा (मेरठ) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 9 फरवरी, 1999 ई०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय राय, श्री	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनिल कुमार, श्री	बलिया
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
अफजाल अहमद, श्री	जौनपुर
अफरोज अली खा, श्री	रामपुर
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
ओंकार सिंह, श्री	एटा
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
चौधरी बाबूलाल, श्री	आगरा
जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
भगवान सिंह शाक्य, श्री	बदायूं
भोनू, श्री	गाजीपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री	देहरादून
राम औतार शाक्य, श्री	मैनपुरी
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबद
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
राम रतन यादव, श्री	सुल्तानपुर
राम सिंह सैनी, श्री	हरिद्वार
रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री	मैनपुरी
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शिव पूजन राम, श्री	वाराणसी
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
हरवंश कपूर, श्री	देहरादून
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 9 फरवरी, 1999 ई०

(विधान सभा की बैठक विधान सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 12 बजकर 30 मिनट पर अध्यक्ष, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

राष्ट्रीय-गीत

श्री अध्यक्ष–

आज की कार्यवाही "वन्दे मातरम्" से प्रारम्भ की जाती है ।

वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।।
सुजलाम ।
सुफलाम ।
मलयज शीतलाम् ।
शस्य श्यामलाम् ।
मातरम् । वन्दे मातरम् ।।
शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्
फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्
सुहासिनीम्
सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम,
वरदाम्
मातरम् । वन्दे मातरम् ।।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, जो अभी महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण पढ़कर सुनाया जायेगा उसके संबंध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जब हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने हमारे इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया कि यह सरकार किसान विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, भ्रष्टाचार में पूरी तरह से आकंठ डूबी हुई है, समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या एक सुनियोजित ढंग से करवा रही है और महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, किसानों का इस समय आलू और प्याज मिट्टी के मोल बिक रहा है और पैदावार का छठवां हिस्सा नहीं मिल रहा है, पूरी तरह से साम्प्रदायिकता में डूबी हुई है और आपसी मेल-मिलाप में बाधा डाल रही है, माफिया मंत्रियों को प्रोत्साहन दे रही है अपराधियों को प्रोत्साहन दे रही है ।

श्री अध्यक्ष–

आप तो यह महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा करने जा रहे हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, जब महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण को पढ़ा ही नहीं है तो कोई औचित्य नहीं रह जाता है कि उसको सदन में पढ़कर सुनायें । हम यह चाहते हैं कि महामहिम राज्यपाल जी अपने अभिभाषण को पढ़ें और उसके बाद हम सुनें ।

श्री अध्यक्ष---

स्थापित परम्परा तो यही है कि महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण पढ़ा जाता है ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, प्रक्रिया नियमावली, 1958 जिसके तहत यह सदन संचालित होता है उसके नियम–19 के अन्तर्गत स्पष्ट है जब वर्ष के प्रारम्भ में सत्र आहूत होता है तो सरकार एक निश्चित तिथि जो कैबिनेट निर्धारित करती है, निश्चित समय में राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है । जो सूचना हमको दी जाती है वह आज की कार्यसूची में प्रकाशित है उसके अनुसार महामहिम राज्यपाल जी को आज 11.00 बजे इस विधान सभा मण्डप में अभिभाषण प्रस्तुत करना था । दो बिन्दु है जिसमें मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ । आज महामहिम 11.00 बजे के स्थान पर 10.00 बजकर 58 मिनट और चालीस सेकेन्ड पर आये ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह कह सकते हैं कि कुछ फर्क तो घड़ियों में हो सकता है लेकिन मैं साक्ष्य के रूप में यह कहना चाहता हूं कि जिस समय महामहिम राज्यपाल जी अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे उस समय इलेक्ट्रानिक कैमरे लगे हुए थे और उनका चित्र और जो घड़ी लगी थी वह उस कैमरे में साक्ष्य के रूप में देखे जा सकते हैं आप उसे मंगवाकर उसको देख सकते हैं । जब अभिभाषण समय से प्रस्तुत ही नहीं हुआ तो वह कैसे पढ़ा हुआ माना जा सकता हैं ?

इसके साथ-साथ यह चाहूंगा कि अगर आप कोई निर्णय लें तो साक्ष्य के रूप में पहले इन कैमरों के चित्रों को देख लें । जो सदन में घड़ी लगी हुई है, मान्यवर वह आपकी पीठ के पीछे है, उसे देखने के बाद ही मैं कोई बात कह रहा हूं ।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल चुनी हुई सरकार का अभिभाषण प्रस्तुत करते हैं जो कि संविधान के अनुरूप हो । [x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपने देखा होगा कि महामहिम कुछ क्षण के लिए बैठे रहे । फिर जब उन्होने अपनी घड़ी में देखा 11.00 बजे हैं, तब उन्होने अपना अभिभाषण पढ़ना प्रारम्भ किया ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, उस समय हाउस डिसआर्डर में था ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

जब एक साथ समवेत् दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष [xxx] महामहिम श्री राज्यपाल अपना अभिभाषण देते हैं, उसे विधान सभा की बैठक नहीं कहा जाता है ।

श्री रामजग–

मान्यवर, बिजली कर्मचारियों पर आज प्रदेश में दमन हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

जब महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी उस समय आप अपनी बात कह सकते हैं ।

* पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य रसद एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न उठाने के आवरण में माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कुछ टिप्पणी की है, मान्यवर, वह सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बन सकती है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं उसे देख लूंगा।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल की प्रार्थना को उन्होने स्वीकार कर लिया, महामहिम राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ा नहीं ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, [x x x]

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–2 लेने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है कि अभिभाषण पढ़ा नहीं गया है, तो जब वह पढ़ा ही नहीं गया तो उसे प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता है । ऐसा दस्तावेज जिसको पढ़ा नहीं गया है, उसका क्या औचित्य है ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अभिभाषण की प्रति को फाड़कर सदन के वेल की ओर फेंकने लगे)

श्री अध्यक्ष–

यह अनुचित है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

बहुजन समाज पार्टी इसके विरोध में बहिष्कार करती है ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

(श्री अध्यक्ष ने अभिभाषण को पढ़ना प्रारम्भ किया)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, विधान मण्डल के वर्ष 1999 के प्रथम सत्र के इस अवसर पर नववर्ष की शुभकामनाओं सहित मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं ।

विधान मण्डल के सदस्य श्री एजाज रिजवी, श्री सत्यप्रकाश विकल और श्री परशुराम मणि त्रिपाठी अब हमारे बीच नहीं रहे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, वैसे तो अभिभाषण पढ़ा ही नहीं गया ।

मान्यवर, आप इसे पढ़ा हुआ मान लें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है । अभिभाषण वितरित भी हो चुका है ।

इन दिवंगत महापुरुषों के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । मैं सुप्रसिद्ध साहित्यकार बाबा नागार्जुन और विख्यात कवि एवं गीतकार श्री प्रदीप का उल्लेख भी करना चाहूंगा । ये भी हमारे बीच नहीं रहे । मैं उनके प्रति श्रद्धावनत हूं । मैं उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में भारी वर्षा व तेज हवाओं से हुए भू-स्खलन और प्रदेश के 55 जिलों में आयी भीषण बाढ़ के कारण दिवंगत हुए ।

मेरी सरकार ने अब तक लगभग एक वर्ष 4 माह का कार्यकाल पूरा किया है । इस अवधि में आप सभी के सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश को एक नई दिशा देने का सफल प्रयास किया गया है ।

मेरी सरकार की निम्न पांच प्रतिबद्धतायें हैं :–

1—गांव गरीब किसान ।

2—झुग्गी-झोपड़ी का इंसान ।

3—नारी समाज का सम्मान और उनकी विशिष्ट पहचान ।

4—बेरोजगार नौजवान ।

5—दलितों, पिछड़ों, शोषितों, उपेक्षितों और वंचितों का उत्थान ।

गांव-गरीब-किसान

हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनता ग्रामों में निवास करती है । इसीलिए मेरी सरकार ने प्रदेश की वार्षिक योजना का 70 प्रतिशत अंश गांवों पर खर्च करने का निर्णय लिया था । यह धनराशि मुख्यतः किसान भाइयों के उत्थान तथा गरीबों के हितार्थ व्यय की जा रही है ।

मेरी सरकार ने पिछली बार यह वायदा किया था कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने में दोतरफा रणनीति अपनायी जायेगी । एक ओर ऊसर-बंजर पड़ी जमीन को कृषि-योग्य बनाया जायेगा तथा दूसरी ओर कृषि-उत्पादकता में वृद्धि की जायेगी । इसके अन्तर्गत अभी तक लगभग 64 हजार हेक्टेयर भूमि को कृषि-योग्य बनाया जा चुका है । विश्व बैंक से 1467 करोड़ रुपये की भूमि सुधार की द्वितीय चरण की योजना भी स्वीकृत करायी गयी है । इसके साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रत्येक जनपद में एक-एक ऐसे विकास खण्ड का चयन किया गया है जहां उत्पादकता का स्तर अपेक्षाकृत कम है, परन्तु उसे बढ़ाये जाने की क्षमता विद्यमान है । ऐसे विकास खण्डों के लिए पृथक से योजना बनाकर कृषि विस्तार कार्यक्रम को सघन रूप में चलाया जा रहा है ।

वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक गांव में एक "किसान-मित्र" का चयन किया जा रहा है । यह किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक के संतुलित उपयोग तथा वैज्ञानिक खेती के विभिन्न अवयवों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करायेंगे ।

प्रदेश में किसानों को उर्वरकों की शुद्धता की प्रारम्भिक जांच में सहयोग कराने की दृष्टि से प्रत्येक किसान सेवा केन्द्र पर एक "उर्वरक परीक्षण किट" की व्यवस्था की गयी, जिससे कृषकों को उनके द्वारा क्रय की गयी रासायनिक उर्वरकों की गुणवत्ता के स्तर का आंकलन करने में सहायता मिली । इसके अतिरिक्त उर्वरक की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 53 हजार से भी अधिक छापे डाले गये, 493 उर्वरक विक्रय प्रमाण-पत्र निलम्बित और 298 निरस्त किये गये । 134 व्यक्तियों को जेल भेजा गया ।

पिछले वर्ष मानसून की अप्रत्याशित वर्षा, बाढ़, चक्रवात तथा अक्टूबर महीने में हुई प्रदेशव्यापी वर्षा के परिणामस्वरूप खरीफ की फसलों विशेषकर चावल, बाजरा, मक्का, उर्द तथा मूंग को व्यापक नुकसान हुआ । मेरी सरकार द्वारा किसानों को राहत देने के लिए गेहूं के बीज पर 25 प्रतिशत का अनुदान दिया गया । इसके साथ ही पोटाशी और फास्फेटी उर्वरकों पर व्यापार कर में पूर्ण छूट प्रदान की गयी ।

वर्ष 1999-2000 में कृषि उत्पादन में विकास की दर पांच प्रतिशत रखी गई है । इसके साथ कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में सतत् वृद्धि करते हुए सन् 2002 तक 1600 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात स्तर प्राप्त करने हेतु सरकार प्रयासरत है ।

मेरी सरकार की प्राथमिकता नहरों की सफाई कराकर अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने की तथा बन्द नलकूपों को तुरन्त ठीक कर कृषकों को अधिक से अधिक सिंचाई सुविधा प्रदान करने की रही है । इस वर्ष 660 करोड़ रुपये लगाकर 4 सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किया जा रहा है । वृहत् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से एक लाख 35 हजार तथा निजी लघु सिंचाई के माध्यम से 3 लाख 42 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित की जा रही है ।

मेरी सरकार द्वारा की गयी घोषणा के अनुरूप दुरूह इलाकों में 2 लाख रुपये की सीमा तक नलकूप निर्माण के लिए 50 प्रतिशत अनुदान की योजना प्रारम्भ की गयी है । इस योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में 500 नलकूपों का निर्माण किया जायेगा । अभी तक 176 नलकूपों का निर्माण किया जा चुका है ।

गन्ना किसानों के हितों की रक्षा हेतु प्रदेश में 5 नई चीनी मिलों की स्थापना की गई । 32 लाख गन्ना उत्पादकों को पहली बार एक वर्ष में कुल 6200 करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान कर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया । प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादकता में वृद्धि हेतु सरकार 4 वर्षीय सघन बीज विकास कार्यक्रम चला रही है । मेरी सरकार ने गन्ना किसानों के हित के रक्षार्थ अगैती गन्ना प्रजातियों के लिए 85 रुपये तथा सामान्य प्रजातियों के लिए 80 रुपये प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य की घोषणा की । इससे प्रदेश के गन्ना किसानों को 200 करोड़ रुपये अतिरित प्राप्त होंगे । कम्प्यूटर से गन्ना पर्ची

तथा कैलेण्डर तैयार कराते हुए बैंकों के माध्यम से गन्ना मूल्य के भुगतान के लाभ से तो सभी माननीय सदस्य अवगत हैं ।

झुग्गी-झोपड़ी का इंसान

आश्रयविहीन गरीब आदमी की दारुण व्यथा से सभी माननीय सदस्यगण भलीभांति परिचित हैं । उत्तर प्रदेश मौसम के हिसाब से वैसे भी अतिवादी है । ग्रीष्म ऋतु में कड़ाके की सर्दी और वर्षा ऋतु में निरन्तर बरसता पानी यहां के मौसम की खासियतें हैं । ऐसे में सर छिपाने की जगह का महत्व और बढ़ जाता है ।

गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों के लिए मेरी सरकार ने **''आश्रय योजना''** बनायी है । इसके अन्तर्गत प्रदूषित वातावरण की मलिन बस्तियों में और सड़क के किनारे अतिक्रमण कर प्लास्टिक की छत के नीचे रहने वालों को 5, 10 तथा 15 रुपये प्रतिदिन के भुगतान पर आश्रय उपलब्ध कराया जा रहा है । चालू वर्ष में यह योजना प्रदेश के सभी 24 नगरीय विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में लागू की गयी है और इसके अन्तर्गत 40 हजार आश्रय उपलब्ध कराये जायेंगे ।

अल्प तथा मध्यम आय वर्ग के नगर निवासियों की आवासीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु स्ववित्तपोषण के आधार पर डेढ़ लाख से ढाई लाख रुपये तक के आवास उपलब्ध कराने की भाऊराव देवरस योजना प्राधिकरण सेवित नगरों में संचालित की गयी है । इसके अन्तर्गत 20 हजार आवास उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।

आवास को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या और बड़ी है । छोटे से क्षेत्र में बस्ती होती है जहां कतिपय मूलभूत सुविधायें ही उपलब्ध हो पाती हैं । इससे दूर हटने पर रास्ता, पेयजल और विद्युत जैसी आधारभूत सुविधाओं के अलावा सामाजिक सम्पर्क टूटने के आसार भी रहते हैं । अतः मेरी सरकार ने इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवासीय स्थल पर ही आवास निर्माण की अनुमन्यता के अधीन 61 हजार 9 सौ से अधिक परिवारों को आवास उपलब्ध कराये हैं ।

नारी समाज का सम्मान और उनकी विशिष्ट पहचान

माननीय सदस्यगण, आप सभी समाज में नारी के महत्वपूर्ण योगदान से परिचित हैं । भावी पीढ़ी इन्हीं की छाया में पलती-बढ़ती है । यदि इनमें शिक्षा का प्रसार हो तथा स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूकता हो, तो आने वाली पीढ़ी में न केवल अच्छे संस्कार होंगे अपितु वह समाज, प्रदेश तथा देश के विकास में सकारात्मक योगदान देने में अधिक सक्षम होगी । इसी कारणवश मेरी सरकार का जोर प्रारम्भ से ही बालिकाओं की शिक्षा तथा महिलाओं के माध्यम से सम्पूर्ण स्वास्थ्य की योजनाओं पर रहा है । मेरी सरकार ने असेवित विकास खण्डों में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए निजी प्रबन्धतंत्रों को दिए जाने वाले अनुदान की धनराशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी है । आप सभी के सहयोग से निजी प्रबन्धतंत्रों को इस योजना का लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित किया गया । फलस्वरूप यह घोषित करते हुए मेरी सरकार को गर्व है कि वर्ष के प्रारम्भ में 153 विकास खण्डों के स्थान पर अब सम्पूर्ण प्रदेश में मात्र 23 विकास खण्ड ही ऐसे बचे हैं जहां कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है । इन अवशेष विकास खण्डों में भी इस वर्ष के अन्त तक विद्यालय की स्थापना लक्षित है । मेरी सरकार का इरादा अब दूसरे चरण में प्रति विकास खण्ड न्यूनतम दो कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को खोलने की योजना को प्रोत्साहित करने का है । शर्त यह रहेगी कि दूसरा विद्यालय पहले से पर्याप्त दूरी पर दूसरी न्याय-पंचायत में हो ।

प्रदेश की निराश्रित विधवाओं को 100 रुपये प्रतिमाह दिये जाने वाले अनुदान की धनराशि को मेरी सरकार ने 1 अगस्त, 1998 से बढ़ाकार 125 रुपये प्रतिमाह कर दिया है ।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के परिवार की लड़कियों एवं महिलाओं को प्रथम बार आई०टी०आई०, पॉलीटेक्निक, मेडिकल, एम०बी०ए० तथा इंजीनियरिंग में अध्ययन हेतु 50 रुपये से लेकर 425 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिये जाने की योजना प्रारम्भ की जा रही है । चालू वित्तीय वर्ष में 580 समन्वित बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से 41 लाख 67 हजार लाभार्थियों को पुष्टाहार वितरित किये जाने का लक्ष्य है ।

पति की मृत्यु पर विधवा को जमीन पर हक दिलाने की मेरी सरकार का वायदा था, जिसे पूरा कर दिया गया है । इसी के साथ बच्चों के अभिभावकों के रूप में पिता के साथ माता का नाम भी दर्ज किये जाने की अनिवार्यता कर दी गयी है ।

बेरोजगार नौजवान

मेरी सरकार ने घोषणा की थी कि चालू वित्तीय वर्ष में **रोजगार छतरी योजना** के माध्यम से बेरोजगारों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा । इस हेतु विभिन्न विभागों के अन्तर्गत कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये । श्रमपरक योजनओं के माध्यम से 651 करोड़ 26 लाख रुपये की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापनाओं को सुदृढ़ करते हुए 8 करोड़ 3 लाख 87 हजार मानव दिवस के रोजगार सृजित किये गये । रोजगार योजना के माध्यम से युवा, युवतियों तथा महिलाओं की सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रशिक्षण देकर गरीब परिवारों के जीवन स्तर को उठाने के लिए सुनियोजित प्रयास किये जा रहे हैं ।

बीस हजार बुनकरों को स्वरोजगार एवं सुनिश्चित रोजगार से लाभान्वित किया जा रहा है । ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना से पूर्व व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराकर नवयुवकों को दो लाख रुपये तक पूंजी-निवेश वाली इकाइयों के लिये 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है ।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना तथा राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम से डवटेलिंग करके खोखा, ठेला इत्यादि लगाकर रोजगार करने वालों के लिए 50 हजार रुपये तक लागत की दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है । ऋण और अनुदान के रूप में 50 हजार रुपये तक देने और कौशल सुधार प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है । इसके अन्तर्गत इस वर्ष 30 हजार व्यक्तियों को आच्छादित किया जाना है ।

समाज कल्याण विभाग की स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत एक लाख आठ हजार नौ सौ बारह अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है । इसी प्रकार पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वतः रोजगार के अवसर हेतु मार्जिन मनी एवं टर्म लोन उपलब्ध कराने की योजनाएं वृहद स्तर पर प्रारम्भ की गयी है ।

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 लाख 11 हजार 2 सौ 49 गरीब परिवारों को ऋण उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया । इससे यह परिवार स्वतः रोजगार में प्रवृत्त हुए ।

दुग्ध विकास विभाग की सघन मिनी डेरी परियोजना एवं महिला परियोजना के अन्तर्गत 88 हजार 432 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है ।

विगत 12 वर्षों से अधिक समय से प्रतीक्षारत बेरोजगार 2295 कृषि-डिप्लोमाधारी नौजवानों की नियुक्ति करके मेरी सरकार ने कृषि-प्रसार को बल दिया । अब प्रदेश में एक भी कृषि डिप्लोमाधारी बेरोजगार नहीं बचा है ।

पुलिस बल में लगभग 9,000 सिपाहियों के पद पर चयन की कार्रवाई की गयी । इसके चयन की सुव्यवस्थित, निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया की सर्वत्र भूरि-भूरि प्रशंसा हुई है ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह "ग" के 14 हजार 747 पदों पर सीधी भर्ती के लिए चयन की निष्पक्ष, पारदर्शी व भ्रष्टाचार-मुक्त व्यवस्था की गयी जिसके अन्तर्गत 13 दिसम्बर, 1998 को पूरे राज्य में एक साथ लिखित परीक्षा सम्पन्न करायी गयी । इसमें लगभग 13 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया । दिनांक 31 जनवरी, 1999 तक लिखित परीक्षा के समस्त परिणाम भी घोषित किये जा चुके हैं ।

प्रदेश में तेरह हजार बी० टी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को शत-प्रतिशत सेवायोजित किया गया है । 27 हजार बी० एड० अथवा इसके समकक्ष प्रशिक्षण प्राप्त नवयुवक और नवयुवतियों को भी अल्पकालिक प्रशिक्षण देकर शिक्षक के पदों पर नियुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है ।

मेरी सरकार ने चालू वर्ष के बजट में दस लाख व्यक्तियों को रोजगार देने का वायदा किया था । यह गर्व का विषय है कि स्वतः रोजगार तथा मजदूरी के माध्यम से मेरी सरकार इससे भी अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने में सफल रही है ।

दलितों, पिछड़ों, शोषितों, उपेक्षितों तथा वंचितों का उत्थान

इन वर्गों के प्रति मेरी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता है । अनुसूचित जाति और जन-जाति के विकास हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा ट्राइबल सब-प्लान के लिए 2197 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है, जो कुल परिव्यय का 21.2 प्रतिशत है । यह सुनिश्चित किया गया है कि इस मात्राकृत धनराशि का किसी भी दशा में डाइवर्जन न हो ।

मानव मल ढोने की प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रदेश के 72 नगरों में स्वच्छकार विमुक्ति योजना चलायी जा रही है । अनुसूचित जाति, जन-जाति तथा विमुक्ति जाति के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि को दुगुना कर दिया गया है और इसे बिना देरी-दूरी-दलाली के सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभावी कदम उठाये गये हैं ।

अनुसूचित जाति के लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि-भूमि में निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले अनुदान की धनराशि मैदानी क्षेत्र में 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये तथा पठारी क्षेत्र में 7 हजार 5 सौ रुपये कर दी गयी है ।

स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वास योजना के अन्तर्गत 15 हजार 5 सौ स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों का पुनर्वासन इस वर्ष किया जा रहा है ।

वर्ष 1998-99 में 13 लाख वृद्धजनों को 195 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत मृतक पेंशनरों की जानकारी कर 52 हजार 305 व्यक्ति चिन्हित किये गये हैं जिनके स्थान पर नवीन पात्र अभ्यर्थियों को पेंशन उपलब्ध करायी जा रही है ।

मेरी सरकार द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति पर अन्य पिछड़े वर्गों की अनुसूची में **मोची, खागी, तवर सिंहाड़ियां एवं कतुआ जातियों** को सम्मिलित किया गया है । पिछड़े वर्गों के 8 लाख 41 हजार छात्रों को 49 करोड़ 85 लाख रुपये की छात्रवृत्ति दी जा रही है ।

मेरी सरकार द्वारा विकलांगों के कल्याण के लिए लगभग 18 करोड़ रुपये का प्राविधान कर विकलांग पेंशन योजना क्रियान्वित की जा रही है । 7 हजार विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, उपकरण आदि उपलब्ध कराये जाने हेतु लगभग 50 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है ।

प्रदेश के विकलांगों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक उत्थान हेतु **विकलांग कल्याण निधि** की स्थापना के साथ-साथ **आयुक्त, विकलांगजन** की तैनाती भी की गयी है ।

अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा के प्रति विशेष रुचि पैदा करने हेतु छात्रवृत्ति राशि दुगुना कर दी गयी है । सुन्नी वक्फ बोर्ड तथा शिया वक्फ बोर्ड के चुनाव सम्पन्न कराये जा चुके हैं ।

कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण

कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है । इस दिशा में सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये गये जिसमें एफ० आई० आर० का शत-प्रतिशत पंजीकरण, थानों को दलाल मुक्त करना, विवेचना में पारदर्शिता लाना एवं शिकायतों व समस्याओं का त्वरित निस्तारण सम्मिलित हैं ।

प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाने हेतु विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षण की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया है एवं आपराधिक तत्वों से सांठ-गांठ करने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों का निरन्तर चिन्हीकरण करके उनके विरुद्ध प्रभावी दण्डात्मक कार्रवाई की गयी है । अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन की प्रक्रिया को और मजबूत किया गया है एवं उनके जेलों में निरुद्ध करने के दौरान प्रभावी निगरानी हेतु भी प्रयास किये गये हैं ।

प्रदेश में माफियाओं एवं संगठित अपराधों में लिप्त अन्य अपराधियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को और प्रभावी बनाने हेतु विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है । टास्क फोर्स द्वारा की गयी कार्रवाई के बड़े उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं । इसके अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय गिरोहों तथा माफियाओं का चिन्हीकरण करके उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गयी । इससे भयमुक्त वातावरण के सृजन के प्रयासों में सरकार को सफलता मिली है ।

लखनऊ में दशकों से चले आ रहे शिया-सुन्नी विवाद को मेरी सरकार ने सियासी नजरिये के स्थान पर मानवीय दृष्टिकोण से देखा तथा इसका समाधान करके प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द के सुदृढ़ीकरण का मार्ग प्रशस्त किया । यह ऐतिहासिक कार्य दोनों समुदायों के परस्पर विचार-विमर्श एवं पूर्ण सहयोग से ही संभव हो सका, जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं ।

सरकार द्वारा हरिद्वार में वर्ष 1998 में कुम्भ के लिए की गयी सुदृढ़ व्यवस्थाओं को देश-विदेश में सराहा गया है ।

पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर भी बल दिया जा रहा है । थाना प्रशासन को बेहतर बनाने, आधुनिक एवं उच्च तकनीकी के अनुप्रयोग एवं संगठित अपराधों की रोक-थाम की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रथम चरण में अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, गौतमबुद्धनगर एवं लखनऊ में पायलट प्रोजेक्ट आरम्भ किया जा रहा है । इसके अन्तर्गत आधुनिक कन्ट्रोल रूम, प्रभावी पेट्रोलिंग एवं कम्प्यूटरीकृत समीक्षा की व्यवस्था भी की जा रही है ।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनसहभागिता विकसित किये जाने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग की परिकल्पना के आधार पर पुलिस तंत्र को और अधिक मजबूत बनाये जाने का सरकार का प्रयास जारी है।

मेरी सरकार जाति-पांत, मत-मजहब, वर्ग और सम्प्रदाय का भेद-भाव किये बिना सभी नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा और महिलाओं की इज्जत-आबरू की हिफाजत के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में पूरी तरह कटिबद्ध भी ।

पारदर्शी प्रशासन

प्रदेश में विकास कार्यक्रमों का प्रभावी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कराया जा रहा है तथा ग्राम स्तर, विकास खण्ड स्तर और जिला स्तर पर कराये गये विकास कार्यों की **सूचियां प्रकाशित** करके पारदर्शिता लायी जा रही है । **स्थलीय सत्यापन** कराये जाने का अभियान युद्ध स्तर पर प्रारम्भ किया गया है, जिससे फर्जी रिपोर्टिंग, त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग तथा अग्रिम रिपोर्टिंग की प्रवृत्ति पर अंकुश लगा है ।

पिछले वर्ष मेरी सरकार ने "सिटीजन्स चार्टर" निर्गत कराने का वायदा किया था। अभी तक दो विभागों खाद्य एवं रसद तथा परिवहन में इसे तैयार कर लागू कर दिया गया है। गृह, ऊर्जा, पंचायती राज, चिकित्सा तथा ग्राम्य विकास विभागों द्वारा भी नागरिक चार्टर के आलेख्य तैयार कर लिए गये हैं।

मेरी सरकार ने सूचना के अधिकार को भी स्वीकार किया है। इस हेतु अधिनियम बनाने हेतु प्रारम्भिक कार्रवाई की जा चुकी है।

पिछले वर्ष मेरी सरकार द्वारा **"जनता की सरकार, जनता के द्वार"** के अन्तर्गत शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की जनता के समीप उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कतिपय दिवसों का आयोजन प्रारम्भ किया गया था। इस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ तथा क्रमबद्ध बना दिया गया है। प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार **को तहसील दिवस,** द्वितीय एवं चतुर्थ मंगलवार को **थाना दिवस,** तृतीय मंगलवार को **नगरीय सेवा केन्द्र** तथा **माह के प्रत्येक प्रथम व तृतीय बृहस्पतिवार को किसान सेवा केन्द्र** का आयोजन किया जा रहा है।

अवस्थापनाओं का विकास

मेरी सरकार विकास को गति प्रदान करने हेतु अवस्थापनाओं के विकास पर अधिक बल दे रही है। इस हेतु 10 करोड़ रुपये से "इन्फ्रास्ट्रक्चर इनीशिएटिव फण्ड" की स्थापना की गई है।

सड़क एवं पुल

सरकार द्वारा मार्ग विकास नीति, 1998 घोषित की गयी है जिसके अन्तर्गत एक हजार से अधिक आबादी वाले सभी ग्रामों को सन् 2005 तक एवं शेष समस्त ग्रामों को सन् 2010 तक सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का निर्णय लिया गया है।

जिला योजना के अन्तर्गत नये मार्गों के स्वीकृति के अधिकार को विकेन्द्रीकृत कर मण्डलायुक्तों को प्रतिनिधानित कर दिया गया है। एक हजार किलोमीटर नहर सेवा मार्गों को पक्का किया जा रहा है। मैदानी क्षेत्र के 2000 ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से इस वर्ष जोड़ा जाना है।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा चालू वर्ष में 215 करोड़ रुपये व्यय करके 55 सेतुओं का निर्माण किया जा रहा है।

परिवहन

वित्तीय वर्ष 1998-99 में परिवहन विभाग द्वारा कराधान नियमों के सरलीकरण के लिए तथा कर अपवंचना को रोकने की दृष्टि से नियमों को संशोधित करने की कार्यवाही की गयी।

निजी क्षेत्र से अधिकाधिक पूंजी-निवेश आकर्षित करने की मेरी सरकार की नीति के अन्तर्गत परिवहन क्षेत्र में भी निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए परिवहन निगम के बस बेड़े की संख्या 7000 पर सीमित रखने का निर्णय लिया गया है।

इस वर्ष परिवहन निगम में विशेष प्रयास करके पिछले वर्षों के मुकाबले राजस्व काफी मात्रा में बढ़ाया गया है तथा परिवहन क्षेत्र में करों की वसूली में सुधार लाने के लिए व्यापक प्रयास किया गया है। मेरी सरकार द्वारा यह भी प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं उनकी समीक्षा कर ली जाये तथा जहां तक सम्भव हो उन्हें अराष्ट्रीयकृत करके निजी क्षेत्र में परिवहन को बढ़ावा दिया जाये।

ऊर्जा

प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ऊर्जा का महत्व सर्वविदित है । प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वर्तमान क्षमता के अधिकतम उपयोग के साथ-साथ मेरी सरकार द्वारा निजी पूंजी निवेशकों को विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है । 5000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता के सृजन के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर कार्रवाई चल रही है । प्लाण्ट लोड फैक्टर को बढ़ाने के लिए व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए राजस्व की वसूली में तेजी लाये जाने के लिए विशेष प्रयास मेरी सरकार द्वारा किया गया है ।

बाढ़ की त्रासदी को देखते हुए किसानों द्वारा 31 जनवरी, 1999 तक विद्युत बिलों का भुगतान करने पर 50 प्रतिशत सरचार्ज माफ किये जाने का निर्णय लिया गया ।

क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को प्रदेश के अधिकाधिक जनपदों में 72 घण्टे में बदले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गये हैं । विद्युत चोरी रोकने हेतु अवैध विद्युत कनेक्शनों को विनियमित किये जाने के अन्तर्गत "कटिया हटाओ कनेक्शन लगाओ" का सघन अभियान चलाकर नवम्बर, 1998 तक 10 लाख 70 हजार 329 विद्युत कनेक्शनों को विनियमित किया जा चुका है ।

ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने के लिए मेरी सरकार सतत् प्रयत्नशील है और इसके लिए ऊर्जा सुधार की नीति बनायी गयी है । इस नीति के अन्तर्गत विद्युत व्यवस्था में व्यापक सुधार एवं परिवर्तन लाने का निर्णय लिया गया है । इसमें विद्युत परिषद् का पुनर्गठन करने तथा उसे वाणिज्यिक संस्थाओं के रूप में चलाये जाने का निर्णय लिया गया है जिससे प्रदेश के बजट पर ऊर्जा क्षेत्र का भार न पड़े तथा अच्छे स्तर की निर्विघ्न विद्युत आपूर्ति किसानों तथा औद्योगिक इकाइयों को प्राप्त हो सके । हमारा विश्वास है कि इससे जहां एक ओर निरन्तर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो पायेगी वहीं दूसरी ओर कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में वृद्धि होगी । प्रदेश की विकास दर तीव्र गति से आगे बढ़ेगी और जनसामान्य के जीवन स्तर में बढ़ोत्तरी होगी । ऊर्जा सेक्टर में व्यापक सुधार हेतु विधान मण्डल के इसी सत्र में विधेयक लाया जाना प्रस्तावित है ।

इस सुधार के लिए प्रारम्भिक कदम के रूप में हमारी सरकार द्वारा "विद्युत नियामक आयोग" का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है । इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का भी चयन कर लिया गया है जो शीघ्र ही अपना कार्य प्रारम्भ करेंगे ।

इसके अतिरिक्त नोयडा और कानपुर की विद्युत वितरण व्यवस्था के निजीकरण का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है । इसे शीघ्र क्रियान्वित किया जायेगा ।

पेयजल

स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है । विगत एक वर्ष में 6 नगरीय क्षेत्रों में नवीन पेयजल आपूर्ति सुविधा उपलब्ध करायी गयी है । प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 7 हजार 31 नये इण्डिया मार्क-दो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं तथा 4700 पम्प रि-बोर कर चालू किये गये हैं ।

कानपुर नगर की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु गंगा नदी पर 200 करोड़ रुपये से बैराज के निर्माण के साथ-साथ डच सरकार के सहयोग से 118 करोड़ रुपये की गंगा ऐक्शन सपोर्ट परियोजना भी स्वीकृत की गयी है ।

गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण का कार्य पूर्ण होने पर प्रतिदिन 40 करोड़ लीटर जल-मल से नदी में हो रहे प्रदूषण को रोका गया है। द्वितीय चरण के अन्तर्गत गंगा, यमुना एवं गोमती नदी के तट पर स्थित 31 नगरों में कार्य प्रगति पर है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की भीषण समस्या के निदान हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सन् 2000 तक सभी ग्रामीण बस्तियों को संतृप्त करने के लिए मेरी सरकार कृत-संकल्प है। इस क्रम में वर्ष 1998-99 में ग्रामीण पेयजल की विभिन्न योजनाओं में 241 करोड़ 54 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है, जिसमें से अब तक 208 करोड़ 10 लाख 50 हजार रुपये का उपयोग कर 14 हजार से अधिक बस्तियों को पेयजल उपलब्ध कराया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ष 1,19,207 नये इण्डिया मार्का-दो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं तथा 18,564 हैण्ड पम्प रि-बोर कर चालू किये गये हैं।

उन्नत सामाजिक सुविधायें

समाज को शिक्षा तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की स्तरीय सामाजिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार कटिबद्ध है।

शिक्षा

वर्ष 1998-99 में 6 से 11 वर्ष तक के कुल 2 करोड़ 33 लाख बच्चों के नामांकन का लक्ष्य शत-प्रतिशत प्राप्त किया गया है। 11 से 14 वर्ष तक के कुल 75 लाख 43 हजार बच्चों के नामांकन की तुलना में 74 लाख 41 हजार बच्चों का नामांकन किया गया है। प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से चल रही "सभी के लिए शिक्षा" परियोजना में 42 नये जनपदों का समावेश किया जा रहा है। अब यह परियोजना प्रदेश के 77 जनपदों में कार्यान्वित की जायेगी।

शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु 68 जनपदों में 15 से 35 आयु वर्ग के लिए सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में 4 लाख 55 हजार वयस्कों को शिक्षित किया जा चुका है।

इलाहाबाद में राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु अध्यादेश जारी किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 6 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गयी है।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में असेवित क्षेत्रों में नये अशासकीय महाविद्यालयों की स्थापना हेतु निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 50 लाख रुपये अनुदान दिये जाने की योजना प्रारम्भ की जायेगी।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

प्रदेश की जनता को स्वस्थ्य एवं निरोग रखने और सन् 2000 तक "सभी के लिए स्वास्थ्य" योजना की सफलता के लिए मेरी सरकार कटिबद्ध है।

अनुसूचित जाति एवं जन-जातियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा समुचित रूप से उपलब्ध कराने हेतु विशेष परियोजना प्रारम्भ की जायेगी।

विश्व बैंक की सहायता से पर्वतीय और दुर्गम बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में विशेष रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना कर ग्रामीण चिकित्सालयों के माध्यम से विशेष सेवाओं की उपलब्धता, नव-सृजित जनपदों में 100 शैयायुक्त संयुक्त चिकित्सालय, मानव संसाधान विकास एवं जनोपयोगी सुविधाओं को प्राथमिकता, कम्प्यूटरीकृत वित्तीय प्रबन्धन, उपकरणों का उचित रख-रखाव तथा खाद्य

अपमिश्रण एवं दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने आदि गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए ''होलिस्टक हेल्थ अप्रोच'' पर बल दिया जा रहा है ।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाये जाने हेतु प्रदेश स्तर पर स्वायत्तशासी सोसाइटी का गठन किया जा चुका है जो कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में कार्यक्रम का संचालन करेगी ।

प्रदेश में संक्रामक रोगों पर सफल एवं प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है । प्रदेश को पोलियो से मुक्त करने हेतु चालू वर्ष में 5 वर्ष से कम आयु के समस्त बच्चों को बृहद् अभियान के तहत नियत तिथियों पर दो बार पोलियो की दवा पिलायी गयी ।

टेक्नोलाजी मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम में कुष्ठ रोग की वर्तमान व्यापकता दर में कमी लाने तथा लगभग एक लाख नये कुष्ठ रोगियों को इस वर्ष उपचारित करने का लक्ष्य है ।

राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत 22 लाख रोगियों के बैकलाग को 3 वर्ष में समाप्त करने का लक्ष्य है ।

वर्तमान में प्रदेश की प्रजनन दर देश में सबसे अधिक, 35 प्रति एक हजार है । जनसंख्या वृद्धि की इस विस्फोटक दर को ''प्रजनन शिशु स्वास्थ्य'' नामक लक्ष्य मुक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 वर्षों में राष्ट्रीय औसत पर लाया जायेगा ।

चिकित्सा शिक्षा के कार्यक्रमों में सुधार और उनमें एकरूपता लाने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने लखनऊ में ''धनवन्तरि आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय'' की स्थापना का निर्णय लिया है । इसमें आधुनिक चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग आदि सभी विधाओं के संकाय होंगे ।

प्रदेश में मानव अंग के व्यापार के कुकृत्यों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियम को प्रदेश में अंगीकार कर लिया गया है ।

सामान्य सुविधायें

खाद्य एवं रसद

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी, सुदृढ़, लोकप्रिय और पारदर्शी बनाया गया है । कालाबाजारी व जमाखोरी पर प्रभावी अंकुश लगा है । फर्जी राशन कार्डों को समाप्त करने तथा नये उपभोक्ताओं को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत जिलों में ही मुद्रित कराकर प्रत्येक परिवार को शत-प्रतिशत राशन कार्ड उपलब्ध कराने की योजना लागू की गयी है ।

प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण हेतु कुल 26 हजार 944 छापे मारे गये, जिनमें 10 करोड़ 94 लाख रुपये मूल्य की सम्पत्ति जब्त की गयी । 398 लोगों की गिरफ्तारी के साथ-साथ 909 लाइसेंस निलम्बित एवं 188 लाइसेंस निरस्त किये गये ।

औद्यानिकी

देश के कुल उत्पादन का लगभग 40-45 प्रतिशत आलू उत्तर प्रदेश में पैदा होता है । वर्ष 1998-99 में आलू का रिकार्ड उत्पादन लगभग 95 लाख टन अनुमानित है ।

मेरी सरकार सतत् जागरूक एवं प्रयत्नशील है कि जहां एक ओर उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आलू उपलब्ध कराया जाये, वहीं दूसरी ओर कृषकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो। इसी दृष्टि से प्रदेश के शीतगृहों की आलू भण्डारण की क्षमता में वृद्धि करने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के शीतगृहों की कुल भण्डारण क्षमता 43 लाख टन है, जिसे बढ़ाकर लगभग 58 लाख टन किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

पशुधन एवं दुग्ध विकास

मेरी सरकार द्वारा गोवंशीय पशुओं को संरक्षण प्रदान करने, गो-हत्या तथा तस्करी को रोकने एवं गो-सम्वर्धन के दृष्टिकोण से प्रदेश में "गो-सेवा आयोग" का गठन किया गया है। वर्तमान में दुग्धशाला विकास कार्यक्रम प्रदेश के समस्त 83 जनपदों में 64 दुग्ध संघों के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिनमें से 41 जनपद आपरेशन फ्लड योजनान्तर्गत तथा शेष 42 जनपद नान आपरेशन फ्लड योजनान्तर्गत आच्छादित हैं।

रेशम

प्रदेश में रेशम उद्योग का व्यापक पैमाने पर विकास करने के उद्देश्य से एक पंचवर्षीय विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना 30 सितम्बर, 1998 से प्रदेश के तराई एवं पर्वतीय क्षेत्र के 8 चयनित जनपदों में लगभग 62 करोड़ की लागत से संचालित की जा रही है।

कीटपालकों द्वारा उत्पादित रेशम कोयों का प्रतिस्पर्धा के आधार पर विक्रय सुनिश्चित कराने हेतु जनपद हरिद्वार में एक कोया बाजार की स्थापना की गयी है। कोया बाजारों में आधुनिक उपकरण एवं कोया क्रेता तथा विक्रेता आदि के ठहरने हेतु रैन-बसेरा आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है और सभी कीटपालकों को बीमा से आच्छादित किया गया है।

राजस्व

दाखिल खारिज के एक लाख बयालीस हजार तथा निर्विवाद विरासत के 4 लाख 95 हजार वाद निस्तारित किये जा चुके हैं। प्रदेश के समस्त 2 करोड़ 41 लाख 25 हजार 262 ऐसे किसानों को जो चकबन्दी अथवा बन्दोबस्त से प्रभावित नहीं हैं, किसान बहियां उपलब्ध करा दी गयी हैं। चक मार्गों एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर हुए व्यापक अतिक्रमण को हटाने का अभियान चलाकर 2 लाख 81 हजार 282 अतिक्रमण हटवाये जा चुके हैं। चक मार्गों के किनारे सीमा स्तम्भों को लगाये जाने एवं उन्हें विकसित कर आवागमन के उपयुक्त बनाये जाने का कार्य भी प्राथमिकता पर लिया गया है।

औद्योगिक विकास

मेरी सरकार ने सन् 1998 में उद्योग और निर्यात के सम्बन्ध में नई नीतियां बनायी हैं। नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के वर्तमान 8 प्रतिशत के स्तर को बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना, औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करना तथा प्रदेश के घरेलू सकल उत्पादन में हिस्सा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना है।

वर्ष 1998-99 में औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर समन्वय तथा अनुश्रवण हेतु आमूल-चूल प्रशासनिक परिवर्तन किये गये हैं। इस हेतु औद्योगिक विकास आयुक्त का पद भी सृजित किया गया है जिनके प्रशासनिक नियंत्रण में औद्योगिक विकास विभाग, लघु उद्योग विभाग, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, वस्त्र उद्योग विभाग तथा श्रम विभाग रखे गये हैं।

प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने हेतु नई दिल्ली में **उत्तर प्रदेश राज्य निवेश केन्द्र** की स्थापना की गयी है तथा स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश को अनिवासी भारतीयों को निवेश हेतु आकर्षित करने के लिए एन०आर०आई० कमिश्नर नामित किया गया है।

मेरी सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र में प्रदेश के प्रति रुचि बढ़ी है । वर्ष 1998 में जनवरी से अगस्त तक प्रदेश के लिए कुल 183 इच्छा-पत्र तथा 13 आशय-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें लगभग 2500 करोड़ रुपये का निवेश निहित है । वर्ष 1998 में भारत में निवेश हेतु दाखिल आशय-पत्रों तथा इच्छा-पत्रों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान महाराष्ट्र के बाद दूसरा है । वर्ष 1997-98 में प्रदेश का स्थान देश में चौथा था ।

दिनांक 30 नवम्बर, 1998 तक 21 एन०आर०आई० प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें 77.33 करोड़ रुपये का विदेशी पूंजी निवेश प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त सीधे विदेशी निवेश हेतु 275 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें 27 हजार दो सौ बानवे करोड़ रुपये विदेशी पूंजी निवेश प्रस्तावित है । इस प्रकार 211 विदेशी तकनीकी सहयोग के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं ।

उद्यमियों को प्रदेश में नया वातावरण प्रदान किये जाने के दृष्टिकोण से जिला उद्योग केन्द्रों में दिनांक एक जनवरी, 1999 से **एक मेज पर एक छत के नीचे** (सिंगिल टेबिल अण्डर वन रूफ) योजना के अन्तर्गत एक स्थान पर ही उद्यमियों को समस्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र, स्वीकृतियां आदि प्रदान किये जाने की व्यवस्था भी की गयी है । इसमें विशेष व्यवस्था यह भी है कि यदि कार्यकारी विभाग द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत स्वीकृतियां नहीं प्रदान की जाती हैं तथा अपनी कोई टिप्पणी नहीं दी जाती है तो स्वीकृतियां स्वयं मिली हुई मान ली जायेंगी । इससे उद्यमियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना नहीं पड़ेगा । उन्हें वी०आई०पी० का दर्जा देकर सरकार द्वारा उन्हें पूरी सहायता दी जायेगी । इस वातावरण को बनाने के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों को व्यापक प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

नवीन औद्योगिक नीति के अन्तर्गत इन्सपेक्टर राज को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है । साथ ही साथ औद्योगिक इकाइयों के लिए निर्विघ्न विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने की व्यवस्था की गयी है ।

मेरी सरकार द्वारा इस वर्ष जो नीतियां निर्धारित की गयी हैं उनमें विशेषता यह रही है कि इन नीतियों को अन्तिम रूप प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक संगठनों और संघों से वार्ता करने के उपरान्त ही दिया गया है ।

आशा की जाती है कि प्रदेश में जो नया वातावरण बना है उससे अतिरिक्त पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा एवं निर्यात बढ़ने से प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी तथा अधिकाधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे ।

नवीन औद्योगिक नीति के अनुपालन मे समस्त प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं के स्तर पर स्थानीय उद्योगपतियों की अध्यक्षता में परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है ।

निर्यात प्रोत्साहन का वातावरण बनाने के लिए एवं निर्यात के लिए विशिष्ट प्रयास करने के लिए मेरी सरकार द्वारा प्रदेश स्तर पर निर्यात नीति की संरचना देश में प्रथम बार की गयी है । इसका लक्ष्य वर्तमान 7500 करोड़ रुपये के निर्यात को सन् 2002 तक बढ़ाकर 20 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचाना है ।

खनिजों के सही प्रबन्धन के लिए तथा उसे अधिकाधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए खनिज विकास नीति की घोषणा मेरी सरकार द्वारा की गयी है । खनिज को उद्योग का दर्जा दिया गया है ।

फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने हेतु "फिल्म नीति" घोषित की जा रही है । मनोरंजन कर की दर पहले ही 125 प्रतिशत से कम कर 100 प्रतिशत की जा चुकी है । जनसामान्य को स्वस्थ मनोरंजन उपलब्ध कराने हेतु समस्त मनोरंजन पार्कों को मनोरंजन कर की देयता से मुक्त कर दिया गया है । नवीन छविगृहों तथा बन्द चले आ रहे छविगृहों को भी निर्धारित योजना के तहत मनोरंजन कर से छूट प्रदान की गयी है ।

प्रदेश में 50 प्रतिशत से अधिक फिल्म की शूटिंग किये जाने पर छः माह के लिए 50 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत से अधिक फिल्म की शूटिंग किये जाने पर एक वर्ष के लिए 100 प्रतिशत मनोरंजन कर से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है । प्रदेश में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन से पर्यटन हेतु प्रचार-प्रसार का लाभ होगा और पर्यटकों की संख्या में आशातीत वृद्धि होगी ।

इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी एवं इलेक्ट्रानिक्स, मेरी सरकार के प्राथमिकता क्षेत्र वाले उद्योगों में हैं । माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा भारत को इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी उद्योग की एक अन्तर्राष्ट्रीय महाशक्ति बनाने के आह्वान के अनुरूप मेरी सरकार भी राज्य में इन्फार्मेशन टेक्नालाजी उद्योग के विकास हेतु कृत-संकल्प है तथा प्रदेश में सूचना प्रोद्योगिकी उद्योग के विकास की वृहद् योजना है । ''सूचना प्रोद्योगिकी नीति'' एवं कार्य योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

मेरी सरकार द्वारा आगरा, नोयडा, देहरादून, वाराणसी और लखनऊ में 5 नये साफ्टवेयर टेक्नालाजी पार्कों की स्थापना की स्वीकृति दे दी गयी है । इलाहाबाद और कानपुर में इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी की स्थापना की योजना है । राज्य के स्कूलों और कालेजों में कम्प्यूटर साक्षरता हेतु एक बड़ी योजना बनायी गयी है जिसके अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश के 100 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता योजना प्रारम्भ की जा रही है । ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा के लिए दो ग्रामीण कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति दे दी गयी है । आगरा में एक ''इलेक्ट्रानिक सिटी'' की स्थापना हेतु एक सम्भाव्यता अध्ययन कराने का भी निर्णय मेरी सरकार ने लिया है ।

पर्यटन

उत्तर प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र है । उत्तर प्रदेश में हिमालय के उत्तुंग शिखरों से लेकर विन्ध्याचल की पहाड़ियों तक सैकड़ों अद्वितीय विविध पर्यटक आकर्षक मौजूद है ।

मेरी सरकार ने एक नयी पर्यटन नीति तैयार की है, जो आने वाले वर्षों में प्रदेश के पर्यटन विकास के लिए एक पथ-प्रदर्शक का कार्य करेगी ।

उत्तर प्रदेश मूल के अप्रवासी भारतीयों को प्रदेश के पर्यटन उद्योग में पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा । निजी उद्यमियों की सहायता के लिए दो उपादान योजनायें प्रारम्भ की जा रही हैं । इनमें से एक योजना ''हेरिटेज होटल'' के विकास के लिए तथा दूसरी अन्य पर्यटन इकाइयों की स्थापना के लिए है । पर्यटन इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को अन्य उद्योगों की भांति उत्तर प्रदेश वित्त निगम तथा पिकअप जैसी संस्थाओं से ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी ।

सम्पूर्ण प्रदेश की जानकारी एक साथ उपलब्ध कराने हेतु ''उत्तर प्रदेश आइये-भारत का अनुभव कीजिये'' शीर्षक से सी०डी० रौम का निर्माण भी कराया जा रहा है ।

देश का पंचम राष्ट्रीय युवा उत्सव दिनांक 12 से 16 जनवरी, 1999 तक राज्य में प्रथम बार लखनऊ में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया । इससे देश के विभिन्न भागों से आये प्रतिभागियों को प्रदेश की जानकारी हुई ।

हरे-भरेवन

मेरी सरकार ने राज्य वन नीति, 1998 की घोषणा की है जिसको एक कार्य योजना बनाकर क्रियान्वित किया जायेगा ।

वानिकीकरण हेतु समाज के सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त कर इसे एक जन आन्दोलन का रूप दिया जायेगा । कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ सड़कों, रेलवे लाइनों तथा नहरों के किनारे खेतों से लगी दो पंक्तियों का उत्पाद कृषक को निःशुल्क दिया जायेगा ।

मेरी सरकार द्वारा वन माफियाओं के विरुद्ध वृहद् अभियान चलाया गया है तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है जिससे पेड़ों के अवैध कटान तथा वनजीवों के शिकार पर अंकुश लगा है।

उत्तरांचल विकास

पृथक उत्तरांचल राज्य की स्थापना के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर महामहिम राष्ट्रपति की अपेक्षानुसार विधान मण्डल की संस्तुतियां भारत सरकार को भेज दी गयी हैं तथा प्रश्नगत विधेयक संसद के विचाराधीन है। इस बीच उत्तरांचल के तीव्रतर विकास हेतु पर्वतीय विकास परिषद् का पुनर्गठन तथा भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही उत्तरांचल की सचिवालय स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं देहरादून एवं नैनीताल स्थित मिनी सचिवालयों को सक्रिय किया गया है।

पर्यावरणीय संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विश्व बैंक द्वारा जलागम प्रबन्ध के अन्तर्गत कुमायूं एवं गढ़वाल शिवालिक के चयनित क्षेत्रों के लिए 220 करोड़ रुपये की एक महत्वांकाक्षी योजना प्रारम्भ की जा रही है। गत वर्ष पर्वतीय क्षेत्र में आये भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सड़कों, पेयजल तथा अन्य योजनाओं की पुनर्स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

उत्तरांचल निवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु इस वर्ष 77 करोड़ 28 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च गुणकारी औषधियों की प्रचुर सम्पदा की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए पारम्परिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करने के निमित्त दूर-दराज के क्षेत्रों में 95 नये आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना की जा रही है।

विधायक निधि

मेरी सरकार ने प्रदेश के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को प्रथम बार अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्यों हेतु विधायक निधि का प्राविधान किया है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक माननीय सदस्य को 50 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। प्रथम किश्त के रूप में इस वर्ष 25 लाख रुपये प्रति सदस्य धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

जनसहभागिता

मेरी सरकार संविधान के 73वें व 74वें संशोधनों को शब्दशः लागू करने के लिए कटिबद्ध है। मेरी सरकार का अटूट विश्वास है कि बिना जनसहभागिता सुनिश्चित किये प्रदेश का सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं है। इस हेतु विभिन्न स्तर की पंचायती राज्य संस्थाओं को सुदृढ़ किये जाने, उन्हें आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराये जाने, अधिकारों का प्रतिनिधायन किये जाने एवं उनके स्तर पर विकेन्द्रीकृत रूप से निर्णय लेकर क्रियान्वित एवं अनुश्रवित किये जाने की महती आवश्यकता है।

मेरी सरकार ने राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से आगे जाकर कर राजस्व का 11 प्रतिशत अंश स्थानीय निकायों (7 प्रतिशत नगरीय निकायों एवं 4 प्रतिशत ग्रामीण निकायों) को अन्तरित किया। इस धनराशि के अन्तरण के साथ-साथ 10 हजार रुपये की लागत तक के कार्यों को करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है।

स्थायित्व हेतु पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदधारकों को हटाने हेतु समस्त सदस्य संख्या का दो तिहाई बहुमत अनिवार्य किया गया है। साथ ही निर्वाचन के बाद दो वर्ष तक उनको हटाने के लिए नोटिस पर रोक लगा दी गयी है और यदि एक बार अविश्वास प्रस्ताव पारित न हो पाये तो दो वर्ष तक पुनः दूसरी बार इसे लाये जाने पर भी रोक लगायी गयी है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार को अपने स्वतन्त्रता सेनानियों तथा महापुरुषों और वीरांगनाओं का भी स्मरण है। उनकी पेंशन को 1500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2250 रुपये प्रतिमाह

कर दिया गया है तथा उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में पूरे प्रदेश में निःशुल्क यात्रा सुविधा एक सहचर सहित प्रदान की गयी है । प्रदेश के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लखनऊ प्रवास के समय, उनके आवास एवं भोजन व्यवस्था के उद्देश्य से, लखनऊ में एक सेवासदन की स्थापना की गयी है ।

देश की विभिन्न विभूतियों को सम्मानित एवं उनकी स्मृति को चिरस्थायी रखने के उद्देश्य से लखनऊ में महराणा प्रताप, वीरांगना ऊदा देवी तथा लाल बहादुर शास्त्री, जौनपुर में सरदार बल्लभ भाई पटेल तथा सीतापुर में दीन दयाल उपाध्याय की मूर्तियां स्थापित की गयीं । इसके अतिरिक्त रवीन्द्र नाथ टैगोर, वीरांगना अवन्ती बाई, सन्त गाडगे, भामाशा आदि अनेक सन्त एवं वीर-वीरांगनाओं की मूर्तियां विभिन्न नगरों में शीघ्र स्थापित की जायेंगी । महापुरुषों और वीरांगनाओं के नाम पर पुरस्कार भी प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है ।

माननीय सदस्यगण, मैंने आपके समक्ष अपनी सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की रूपरेखा, इसकी दिशा एवं उपलब्धियों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है । नियोजित नियोजन पर मेरी सरकार द्वारा विशेष बल दिया गया और इस हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घोषित नीतियों का उल्लेख भी किया गया है । कृषि, सूचना-प्रौद्योगिकी, ऊर्जा तथा फिल्म सम्बन्धी नीतियों की घोषणा भी शीघ्र की जायेगी । इसी सत्र में आपके समक्ष बजट प्रस्तुतीकरण के अवसर पर वर्तमान कार्यक्रमों की उपलब्धियों एवं नये कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी का एक और अवसर उपलब्ध होगा ।

विगत सत्र के बाद मैंने कुछ अध्यादेश प्रख्यापित किये हैं, जिनके प्रतिस्थानी विधेयक और कुछ अन्य विधेयक भी आपके समक्ष इस सत्र में प्रस्तुत किये जायेंगे जिन्हे पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायेगी । इस सत्र में वित्तीय वर्ष 1999-2000 का आय-व्ययक और चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक मांगें भी प्रस्तुत की जायेंगी ।

इसके पूर्व कि मैं अपना अभिभाषण समाप्त करूं, मैं आपको यह स्मरण कराना चाहूंगा कि लोकतन्त्र का भविष्य बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि यहां आप क्या करते हैं और सदन के बाहर आपका व्यवहार कैसा है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कार्य और आचरण से दूसरों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेंगे । आप इस सदन की उच्च गरिमा और पवित्रता को सदैव बनाये रखेंगे तथा आपके विचार-विमर्श में सदैव गम्भीरता, निःस्वार्थ सेवा एवं लोक कर्तव्यों के प्रति निष्ठा होगी । इन शब्दों के साथ मैं आपको अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आहूत करता हूं ।

जय हिन्द !)

(सदन की सहमति से इसे पढ़ा हुआ माना गया ।)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1998 [1]

* संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1998 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

[1] छापे नहीं गये ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1998†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1998 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1998†

* चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री शिवाकान्त ओझा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1998 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1998†

*माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1998 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1998†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1998 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1998†

* उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1998 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण अध्यादेश, 1998†

*उत्तरांचल विकास मंत्री (डा० रमेश पोखरियाल "निशंक")–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण अध्यादेश, 1998 को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अध्यादेश, 1999†

*पशुधन मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अध्यादेश, 1998 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1998†

*सहकारिता मंत्री (पटेल राम कुमार वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1998 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1998†

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1998 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1999†

*उच्च शिक्षा प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1999 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1999†

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1999 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1999†

*पशुधन मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1999 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1999†

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1999 को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1999†

*माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1999 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1999†

* संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1999 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1999†

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1999 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (दसवां संशोधन) नियमावली, 1998 तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 1998††

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संसदीय कार्य अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–2688/सत्रह-सं०–1-98-131सं०/98, दिनांक 3 नवम्बर, 1998 द्वारा प्रकाशित, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (दसवां संशोधन) नियमावली, 1998 तथा (2) अधिसूचना संख्या–2840/सत्रह-सं०-1-98-131सं०/98, दिनांक 7 नवम्बर, 1998 द्वारा प्रकाशित, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 1998 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 की धारा 23-क(1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1998 की त्रुटियों के शोधन का विवरण

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1998 में किये गये त्रुटियों के शोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† छापे नहीं गये।

†† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1998 में, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किये गये त्रुटियों के शोधन का विवरण–

विधेयक के खण्ड 13 के उपखण्ड (ख) के अन्त में चिन्ह और शब्द, ''अर्थात्–''के स्थान पर शब्द, अंक और चिन्ह,'' और 27 मार्च, 1997 को बढ़ाई गयी समझी जायगी, अर्थात् :–''रख दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1998 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 सितम्बर, 1998 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 23 सितम्बर, 1998 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 सितम्बर, 1998 को प्राप्त हो गयी, और वह सन् 1998 का उत्तर प्रदेश का तीसवां अधिनियम बन गया ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 23 व 24 में कुछ नहीं है ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 8 फरवरी, 1999 की बैठक में सदन के दिनांक 9 फरवरी, 1999 से 24 मार्च, 1999 तक के उपवेशनो के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 19 फरवरी, 1999 को प्रश्नकाल न रखा जाय ।

2–दिनांक 10, 11, 15 तथा 16 फरवरी, 1999 को श्री राज्यपाल के अभिभषण पर चर्चा के दिनों में नियम 56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं ।

3–सदन का दिनांक 9 फरवरी, 1999 से 24 मार्च, 1999 तक का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :–

फरवरी, 1999

9 मंगलवार 1–11.00 बजे पूर्वाह्न

राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल का अभिभाषण ।

2–12.30 बजे अपराह्न

(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़कर सुनाया जाना ।

(2) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन, आदि यदि कोई हों ।

3–1.00 बजे अपराह्न

फरवरी, 1999

वित्तीय वर्ष 1998-99 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण ।

10 बुधवार — 1–निधन के निर्देश ।

2–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

11 गुरुवार — श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

12 शुक्रवार — 1–असरकारी दिवस (आधा दिन) ।

2–वित्तीय वर्ष 1998-99 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार और मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण (आधा दिन) ।

3–(1) श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा–एक घण्टा ।

"यह सदन केन्द्र सरकार से यह सिफारिश करता है कि भारत के संविधान में इस आशय का संशोधन करे कि लोक सभा एवं विधान सभाओं का कार्यकाल निश्चित रूप से पांच वर्ष का हो और इसके पूर्व विघटित न की जाय ।"

(2) श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा–एक घण्टा ।

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) के अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द "साहित्य" से पूर्व शब्द और चिन्ह "विधि" रख दिया जाय ।"

13 शनिवार, 14 रविवार — बैठक नहीं होगी ।

15 सोमवार, 16 मंगलवार — श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

17 बुधवार — निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–

(क) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1998—आधा घंटा ।

(ख) उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 1998—आधा घण्टा ।

18 गुरुवार — निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–

(क) उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1998—आधा घंटा ।

फरवरी, 1999

(ख) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1998—आधा घंटा ।

19 शुक्रवार — 1—11.00 बजे पूर्वाह्न :–

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण ।

2—असरकारी दिवस (पूरा दिन)

20 शनिवार, 21 रविवार — बैठक नहीं होगी ।

22 सोमवार, 23 मंगलवार, 24 बुधवार, 25 गुरुवार — वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।

26 शुक्रवार — वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

27 शनिवार, 28 रविवार, मार्च, 1999, 1 सोमवार, 2 मंगलवार — (होली का अवकाश) बैठक नहीं होगी ।

3 बुधवार, 4 गुरुवार, 5 शुक्रवार — वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

6 शनिवार, 7 रविवार — बैठक नहीं होगी ।

8 सोमवार, 9 मंगलवार — वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

10 बुधवार — (शीतलाष्टमी का अवकाश) बैठक नहीं होगी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मार्च, 1999

11 गुरुवार 12 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
13 शनिवार 14 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
15 सोमवार 16 मंगलवार 17 बुधवार 18 गुरुवार 19 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय- व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
20 शनिवार 21 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
22 सोमवार 23 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
24 बुधवार	(1) वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान (4.00 बजे अपराह्न तक) (2) 4.00 बजे अपराह्न :– उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों से जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गयी है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वित्तीय वर्ष 1998-99 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के समय से पूर्व प्रस्तुत करने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, अभी 6 मिनट शेष है 1.00 बजने में। यदि आप प्रस्ताव ले आये तो मद संख्या–26 अभी ले ली जाय।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि मद संख्या–26 जो 1.00 बजे ली जानी थी उसको तुरंत ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने मद संख्या–26 को अभी तत्काल लेने के संबंध में किया है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 1998-99 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण का प्रस्तुतीकरण

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1998-99 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित कर दी जायं।

(प्रतियां वितरित किये जाने के उपरांत)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल 11.00 फिर बैठेगें।

(इसके बाद सदन 12 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
09 फरवरी, 1999

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 11 विधान सभा (20)-1999-813 (डी०टी०पी०)।